प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–21.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **21 वाहनों से मु0– 4300 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–18 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

02 वारण्टी अभियुक्तो के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तो के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 20.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मखई पुत्र झगरू नि0 दनवा वीरवा बभनी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–97/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोंडा दिनांक 21.04.2019

थाना परसपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा जिला बदर अभियुक्त

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. नन्द किशोर पाण्डेय पुत्र रामअवतार पाण्डेय निवासी लोकई पाण्डेय पुरवा मौजा सकरौर थाना परसपुर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 115/19 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना परसपुर जनपद गोंडा।

संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोंडा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोंडा के द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था। जिस क्रम में परसपुर गोण्डा के पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त नन्द किशोर पाण्डेय पुत्र रामअवतार पाण्डेय निवासी लोकई पाण्डेय पुरवा मौजा सकरौर थाना परसपुर जनपद गोंडा को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 15.04.2019 को जिलाबदर घोषित किया गया था। जोकि आदेश का उल्लघन करते हुए अपने घर पर रह रहा था। जिसको थानाध्यक्ष परसपुर के नेतृत्व में परसपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. थानाध्यक्ष परसपुर बृजानन्द सिंह।
02. उ0नि0 कुबेर तिवारी।
03. का0 योगेन्द्र कुमार, 04. का0 भूपेंन्द्र कुमार।